परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या--740(i)एएलएस/17--288एलएस/17 दिनांक-06 जुलाई, 2017

1--समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
2--समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कार्मिक),
उ0प्र0 परिवहन निगम।
3--समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
4--समस्त सहायक विधि अधिकारी,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय:--<u>मोटर दुर्घटना से इन्कार किये गये प्रतिकर वादों की पैरवी के संबंध में।</u>

मोटर दुर्घटना वादों में क्लेम दुर्घटना अधिकरण द्वारा पारित किये जा रहें एवार्ड की समीक्षा किये जाने पर संज्ञान में आया है कि विभागं द्वारा दुर्घटना से इन्कार किये जाने वाले वादों की पैरवी में VTS प्रणाली तकनीक का उपयोग नही किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक है।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो) का दायित्व होगा कि वाद--पत्र पर डिपो के स्तर से तैयार की जाने वाली प्रस्तरवार आख्या में यदि प्रश्नगत दुर्घटना स्वीकार नहीं की जाती है तो कथित दुर्घटना के दिनांक एवं समय पर निगम वाहन का स्थान, स्पीड, हार्श ब्रेकिंग एवं हार्स एक्सीलरेशन की वी0टी0एस0 प्रणाली से सृजित आख्या अनिवार्य रूप से वाद के पैरवीकर्ता को उपलब्ध करायी जाय। उक्त के साथ ही प्रश्नगत वाहन (अप--डाउन) में ई0टी0एम0 से जारी किये गये टिकट का पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाय।

उपरोक्तानुसार डिपो से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या के आधार पर समुचित जवाबदावा तैयार कर दाखिल कराने एवं आवश्यकतानुसार अभिलेख साक्ष्य में प्रस्तुत कराने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक विधि अधिकारी का होगा।

उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(के0रविन्द्र नायक)
प्रबन्ध निदेशक